18.4.16	वर्तमान प्रार्थी W/O ... के आवेदन पर प्रस्तावली तलब होकर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रदीप विहा की मजदूरी है अतः प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तावली पेंशन शुल्क होकर नम्बर 6 कम होगा	पप्पुराम क्रमावत पटवारी क. [illegible]

Scanned with CamScanner